संख्या- 164 /2026/1323 /चार-2026-ई-2039359

प्रेषक,

राज कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2026**

विषय:- बेंगलुरू स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इण्टरनेशनल सेंटर में उ0प्र0 महोत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-263/सं0नि0-15(18)/2026-27, दिनांक 06 मई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेंगलुरू स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इण्टरनेशनल सेंटर में दिनांक 21 से 25 मई, 2026 तक आयोजित होने वाले उ0प्र0 महोत्सव-2026 में कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं किराये पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कलाकार का नाम	विधा	कार्यक्रमों की संख्या	मानदेय	किराया	कुल धनराशि
1	22.05.2026	श्री साजन मिश्रा, वाराणसी सदस्यों की संख्या-4	भजन गायन	प्रथम	4,00,000.00 18% जी0एस0टी0=72,000.00	70,000.00 हवाई टिकट	5,42,000.00
2	23.05.2026	भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ सदस्यों की संख्या-12	भगवान राम पर आधारित नृत्य नाटिका	-	3,50,000.00	-	3,50,000.00
3	24.05.2026	सुश्री गीतांजलि, मथुरा सदस्यों की संख्या-14	ब्रज की फूलों की होली	प्रथम	2,20,000.00 यात्रा भोजन भत्ता 1000x13x2 =26,000.00	90,000.00	3,36,000.00
						योग (रूपये बारह लाख अट्ठाइस हजार मात्र)	**12,28,000.00**

2. अवगत कराना है कि बेंगलुरू स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इण्टरनेशनल सेंटर में उ0प्र0 महोत्सव-2026 कार्यक्रम में उक्त तालिका के क्र0-1 पर अंकित कलाकारों के प्रतिभाग करने हेतु प्रस्तावित हवाई यात्रा व्यय के स्थान पर ट्रेन यात्रा किराये की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेंगलुरू स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इण्टरनेशनल सेंटर में दिनांक 21 से 25 मई, 2026 तक आयोजित होने वाले उ0प्र0 महोत्सव-2026 में कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं किराये पर होने वाले व्यय **(हवाई टिकट पर प्रस्तावित व्यय रू0 70,000/- को घटाते हुए) धनराशि रू0 11.58 लाख (रूपये ग्यारह लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उल्लेखनीय है कि उक्त तालिका के क्रम संख्या-1 में अंकित कलाकार के हवाई यात्रा के किराया में अधिक अन्तर होने पर ट्रेन यात्रा किराया अनुमन्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) सभी कलाकारों को नियमानुसार अनुमन्य ट्रेन यात्रा किराया देय होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल / बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(7) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदी पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(10) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान / कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(11) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 11,58,000.00 (रूपये ग्यारह लाख अट्ठावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19-विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञापसंख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक-28 मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।